उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–2
संख्या– 112 /सेक–2–पॉच–17–6(149)/2016
लखनऊ : दिनॉक : 9 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

डा0 जकी मोहम्मद (वरिष्ठता कमांक–8225), अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, पाटन, उन्नाव द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में रिट याचिका संख्या–20874(एस/बी)/2016 डा0 जकी मोहम्मद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य इस आशय से योजित की गयी कि उन्हें उनके कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 11.09.2009 से लेवल–3 से लेवल–4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) के पद पर प्रोन्नत किया जाय। प्रश्नगत रिट याचिका की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.09.2016 पारित किया गया, जो निम्नवत् हैः–

> "Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel. This petition has been filed for issuing a direction in the nature of mandamus commanding the respondents to consider the case of the petitioner for promotion on the post of Joint Director from the post of Consultant in the health department with effect from 11.09.2009, when the juniors have been promoted, along with all consequential service benefits and arrears.
>
> Learned counsel for the petitioner submits that the petitioner in this regard has moved a representation, which has not been disposed of up till now. He, therefore, prays that the authority concerned may be directed to decide the representation preferred by the petitioner as contained in Annexure-10 to the writ petition, as the petitioner is suffering on account of nondisposal of the said representation.
>
> Accordingly, the writ petition is disposed of with the direction that the authority concerned shall consider and dispose of the aforesaid representation of the petitioner, in accordance with law within a period of two months from the date of receipt of a certified copy of this order."

2– मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याची के प्रत्यावेदन दिनांक 05.10.2015 का अवलोकन किया गया। याची द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में मुख्य रूप से कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि 11.09.2009 से लेवल–3 से लेवल–4 (संयुक्त निदेशक ग्रेड) में पदोन्नत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3– इस संबंध में अवगत कराना है कि डा0 जकी मोहम्मद (वरिष्ठता कमांक–8225) को लेवल–3 से लेवल–4 के पद पर पदोन्नति के संबंध में वर्ष 2009 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा प्रेषित अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि चयन वर्ष 2009–10 में सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक के समय प्रस्तुत पात्रता सूची में डा0 जकी मोहम्मद का नाम सम्मिलित था और चयन समिति द्वारा उनके नाम पर भी विचार किया गया। चयन समिति द्वारा 'श्रेष्ठता' मानदण्ड के आधार पर डा0 जकी मोहम्मद को 'अनुपयुक्त' पाते हुए संयुक्त निदेशक ग्रेड के पद पर पदोन्नत किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी।

4– वर्ष 2012 एवं वर्ष 2014 में लेवल–3 से लेवल–4 के पद पर पदोन्नति हेतु सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में याची डा0 जकी मोहम्मद के नाम पर विचार किया गया, किन्तु उनके विरूद्ध शासन के कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 22.09.2011 द्वारा विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित होने के कारण उनकी पदोन्नति के संबंध में चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति बन्द लिफाफे में रखी गयी थी। याची के विरूद्ध प्रचलित उक्त विभागीय कार्यवाही शासन के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–05/चि0–3–2017–1696/2011, दिनांक 04.01.2017 द्वारा बिना किसी दण्ड के समाप्त कर दी गयी।

5– डा0 जकी मोहम्मद की लेवल–3 से लेवल–4 के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 06.06.2012, 22.11.2012 एवं 28.08.2014 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में उनकी

पदोन्नति के संबंध में चयन समिति द्वारा संस्तुत "बन्द लिफाफा" दिनांक 05.01.2017 को खोला गया। दिनांक 06.06.2012, दिनांक 22.11.2012 एवं 28.08.2014 को सम्पन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में चयन समिति द्वारा डा0 जकी मोहम्मद के विरुद्ध संस्थित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही की जांच में उन्हें पूर्णतया निर्दोष पाये जाने पर पदोन्नत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

6— मामले में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2016 एवं चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में डा0 जकी मोहम्मद, (वरिष्ठता क्रमांक—8225) को उनके कनिष्ठ डा0 सत्य नारायण तिवारी (वरिष्ठता क्रमांक—8228) की प्रोन्नति की तिथि 14.06.2012 से लेवल—3 (वेतनमान रू0 15,600—39,100 ग्रेड—पे—7600) से लेवल—4 (वेतनमान रू0 37,400—67,000 ग्रेड—पे—8700) के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। डा0 जकी मोहम्मद की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

7— फलस्वरूप मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या—20874(एस/बी)/2016 डा0 जकी मोहम्मद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2016 के अनुपालन में सम्यक विचारोपरान्त याची डा0 जकी मोहम्मद के पदोन्नति संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 05.10.2015, 12.09.2016 व 08.11.2016 को एतद्द्वारा उपर्युक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

आलोक कुमार
सचिव।

पृ0सं0— 112 (1)/सेक—2—पॉच—17—तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

2— महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य,उ0प्र0,लखनऊ।

3— निदेशक (प्रशासन) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विभागीय बेवसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

4— निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।

5— मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच, लखनऊ को रिट याचिका संख्या—20874(एस/बी)/2016 डा0 जकी मोहम्मद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.09.2016 के अनुपालन में प्रेषित।

6— अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

7— मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव।

8— कोषाधिकारी, उन्नाव।

9— डा0 जकी मोहम्मद अधीक्षक, सामु0स्वा0केन्द्र, पाटन, उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि तत्काल योगदान आख्या अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

10— चिकित्सा अनुभाग—3/गार्ड बक।

आज्ञा से,

(जे0एल0 यादव)
अनु सचिव।